(21)

5रु. Rs.5 COURT भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

निगरानी 607-PBR/15

1. श्री राजेश पिता श्री शालिग्राम सोनी
आयु – वयस्क, व्यवसाय – नौकरी
निवासी –60/1, मिश्र नगर, इन्दौर

2. श्रीमती सरिता पति श्री राजेश सोनी
आयु – वयस्क, व्यवसाय – गृहकार्य
निवासी –60/1, मिश्र नगर, इन्दौर

— प्रार्थीगण

विरूद्ध

म.प्र. राज्य शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय जिला इन्दौर

— प्रतिप्रार्थी

18/3/15

24-3-15

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2015 एनेक्चर ए–1 एवं उसके आलोक में प्रारंभ की गई प्रक्रिया से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करते है :–

Received 25-3-15

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि, मूलतः भूमि स्वामी शंकर पिता खेता के द्वारा संबंधित वर्णित वाद में वर्णित संलग्न भूमि धारित की जाती थी। उक्त भूमि को पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 28.04.1995 एनेक्चर ए–2 के द्वारा शंकर पिता खेता की ओर से श्री गुरूदयाल पिता सज्जनसिंह कलसी के पक्ष में अन्तरित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 607-पीबीआर/15 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	पकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	